

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
शंकुन्तला देवी बनाम अनिल कुमार आदि
किरम मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 04 सन् 2024

जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/113

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.04.2024	<p>प्रार्थी शकुन्तला देवी पत्नी गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी 9 एफ ए माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 3 एफ बी के खाता संख्या 50 के मुख्या नम्बर 59, 76/20, 76/33 की 5.046 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर</p> <p>07 उ/२५</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र धारा 148 (क) CPC स्थापित किया जाता है। पत्रावली विधीत होकर नम्बर से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर